न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (सहायक कलक्क्टर) नगर (भरतपुर) कैम्प जालूकी

पीठासीन अधिकारी :— राजवीरसिंह यादव, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुकद्मा नम्बर :— 155/2012

दीन दयाल पुत्र श्रीचन्द जाति वैश्य निवासी ग्राम सैमली तह0 नगर

—— वादी

बनाम

1. उदयसिंह पुत्र रघुवीर (मृतक)

1/1 मु0 माया पत्नि उदयसिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम जालूकी तह0 नगर जिला भरतपुर

1/2 मु0 ओमवती पुत्री उदयसिंह पत्नि शेरसिंह जाति राजपूत नि0 गादूबास तहसील मण्डावर जिला अलवर

1/3 मु0 अंजना पुत्री उदयसिंह पत्नि अशोक सिंह जाति राजपूत नि0 नांगल सायडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर

1/4 शैतानसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी जालूकी तह0 नगर

1/5 मु0 लक्ष्मी पुत्री उदयसिंह पत्नि देवेन्द्रसिंह जाति राजपूत नि0 बूडी बावल तहसील कोटकासिम जिला अलवर

2. धीरेन्द्र पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जालूकी तह0 नगर
3. तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार नगर

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत 88—89, 188 आर0टी0ए0

निर्णय दिनांक 19.05.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान — न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प जालूकी में प्रस्तुत हुई । वादी द्वारा यह दावा इस आशय का संस्थित किया है कि आ.ख.नं. 76/1.43 बाके ग्राम जालूकी में हिस्सा 1/2 प्रतिवादी उदयसिंह के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा था । प्रतिवादी उदयसिंह ने उक्त आराजी का वयनामा दिनांक 16.06.1983 को वादी के पक्ष में कराकर मौके पर कब्जा व दखल वादी को सौंप दिया तथा वयनामा के बाद से आज तक वादी ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी वयनामा दिनांक 16.06.1983 के आधार पर अपने आपको वि0आ0 का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकार है । प्रतिवादी उदयसिंह ने बाद नियती पूर्वक वादी के हितों पर कुठाराघात करते हुए उक्त क्रय शुदा रकबे में से 0.16 हैक्टे0 भूमि का वयनामा दिनांक 26.07.2011 को प्रतिवादी धीरेन्द्रसिंह के पक्ष में तहरीर कर तस्दीक करा दिया है जो माना वादी को आर्थिक व मानसिक नुकसान पहुॅचाने की नीयत से तैयार कराया गया है जो बिल मुकाबले वादी बातिल व बेअसर है । प्रतिवादी0 वादी की क्रय शुदा आराजी में जबरन हस्तक्षेप करने पर आमादा है विदी वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा पाने का अधिकारी हैं । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर आ0ख0नं0 76/1.43 बाके ग्राम जालूकी में से 1/2 हिस्सा पर वादी को

खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वयनामा दिनांक 26.07.2011 जो प्रति0 उदयसिंह, धीरेन्द्र को कराया है को नल एण्ड वोइड घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 3 के बावजूद इत्तला उपस्थित नही होने पर दिनांक 30.01.2014 को उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी । प्रतिवादी संख्या 1 के जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी धीरेन्द्रसिंह को एक बीघा जमीन का वयनामा कराया जाना स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है । वि0आ0ख0नं0 76/0.72 बाके ग्राम जालूकी तह0 नगर प्रति0 संख्या 1 की खातेदारी की आराजी है, प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी को कोई जमीन का बेचान नही किया, वादी द्वारा फर्जी वयनामा तैयार किया है । मौके पर बुर्जुगों के समय से आज तक प्रति0 संख्या 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 ने व धीरेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह ने आपस में विनिमय पत्र द्वारा दिनांक 22.08.2013 को आ0ख0नं0 76/0.72 के बजाय आ0ख0नं0 77/0.96 का 1/7 हि0, 73/0.04, 80/0.30 किता 2 रकबा 0.34 का 1/2 हि0 दर हिस्सा 1/7 रकबा एक बीघा धीरेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह को दे दिया है एवं धीरेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह से आ0ख0नं0 76/0.72 में से एक बीघा जमीन वापिस मुझ प्रतिवादी को प्राप्त हो गई तथा ख0नं0 76/0.72 पर आज भी प्रतिवादी संख्या 1 का शांति पूर्वक कब्जा काश्त है । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे । प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपने जबाव दावा में प्रतिवादी संख्या 1 के जबाव की पुष्टि करते हुए अंकित किया है कि वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है जिससे दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत काबिल खारिज है । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी मय खारिज फरमाया जावे ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई –

1. आया वादी वयनामा तारीखी 16.06.1983 के आधार पर विवादित रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है ? –– जिम्मे वादी
2. आया वयनामा तारीखी 26.07.2011 काबिल नल एण्ड वोइड के है ? –– जिम्मे वादी
3. आया वादी विरूद्ध प्रति0 डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी पाने का हकदार है? – जिम्मे वादी
4. आया विवादित रकबे की बावत् वादी के पक्ष्ज्ञ में तहरीरी तस्दीकी वयनामा फर्जी है । दावा खारिज योग्य है ? –– जिम्मे प्रति0
5. दादरसी ?
6. आया मुताबिक मद संख्या 10, 11 जबाव दावा के मुताबिक दावा वादी काबिले खारिज है?

—— जिम्मे प्रति0

प्रार्थी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी संख्या 2068–71 प्रदर्श–1, नकल वयनामा दिनांक 26.07.2011 प्रदर्श–2, नकल वयनामा दिनांक 16.06.1983 प्रदर्श–3, नकल नामा0 संख्या 8 प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र किशनसिंह प्रदर्श–5, मृत्यु प्रमाण पत्र रघुवीरसिंह प्रदर्श–6, असल वयनामा दिनांक 16.06.1983, प्रदर्श–7, नकल चार्जशीट न्यायालय ए0सी0जे0एम0 नगर एफ0आई0आर0 28/13 प्रदर्श–8, नकल आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट नगर मु0नं0 65/13 प्रदर्श–9, दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा बतौर मौखिक साक्ष्य वादी दीनदयाल पी0डब्ल्यू0–1, गवाह अतरसिंह पी0डब्ल्यू0–2, महावीर पी0डब्ल्यू0–3, के बयान कराये हैं तथा प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में प्रति0 धीरेन्द्रसिह डी0डब्ल्यू0–1 के वयान कराये हैं ।

हमने कैम्प के दौरान मजमे आम में उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है ।

तनकी नं0 1 व 2 – ये दोनो तनकियां एक दूसरे से संबंधित हैं इसलिए दोनो तनकियों को एक साथ निर्णित किया जा रहा है । इन तनकियों को साबित करने का भार वादी पर है । नकल वयनामा दिनांक 16.06.1983 प्रदर्श 3 व 7 के अवलोकन से साबित होता है कि आ0ख0नं0 76/1.43 बाके ग्राम जालूकी के 1/2 हिस्सा उदयसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति ठाकुर साकिन जालूकी तहसील नगर से वादी दीनदयाल पुत्र श्रीचन्द जाति वैश्य निवासी ग्राम सैमली के द्वारा क्रय किया जाकर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था । नकल जमाबंदी संख्या 2068–71 के खाता संख्या 14 में आ0ख0नं0 76/0.72 की बावत् ''उदयसिंह पुत्र रघुवीरसिंह कौम राजपूत सादेह खातेदार रहिन एस0बी0आई0 शाखा रामगढ'' दर्ज है तथा इं0नं0 1109 से खाता रहनफक तथा इं0नं0 1118 धीरेन्द्र सिंह पुत्र मानसिह 16/72 हि0 राजपूत सा0देह खातेदार का नोट लाल स्याही से अंकित है। फोटोप्रति विनिमय पत्र दिनांक 22.08.13 के अवलोकन से यह साबित होता है कि ख0नं0 76/0.72 का 16/72 हिस्सा धीरेन्द्रसिंह ने प्रतिवादी उदयसिंह के पक्ष में अन्य आ0ख0नं0 77/0.96 का 1/7 हि0 व ख0नं0 73/0.04, 80/0.30 किता–2 रकबा 0.34 का 1/2 हि0 दर हि0 1/7 यानि 1 बीघा जो ग्राम जालूकी में स्थित है से बदल लिया है, जिसको प्रतिवादी धीरेन्द्रसिंह ने अपने जबाव दावा एवं बयान में स्वीकार किया है, जिससे आ0ख0नं0 76/0.72 के 16/72 हिस्सा का प्रति0 संख्या 1 उदयसिंह द्वारा प्रतिवादी धीरेन्द्रसिंह के पक्ष में दिनांक 26.07.11 को कराये गये वयनामा का कोई औचित्य नही रहता है । इस प्रकार तनकी नं0 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं ।

तनकी नं0 3 – इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है । तनकी नं0 1 व 2 के विवेचन से वि0आ0 ख0नं0 72/1.43 का 1/2 हिस्सा वादी की क्रय शुदा भूमि है जिस पर वयनामा दिनांक 16.06.

1983 से ही वादी का कब्जा काश्त होना साबित होता है जिससे तनकी नं0 3 भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 4 – इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है । प्रतिवादी द्वारा वयनामा दिनांक 16.06.1983 को फर्जी होना अपने जबाव दावा में अंकित किया है लेकिन प्रतिवादी द्वारा उक्त वयनामा को निरस्त कराने व फर्जी घोषित कराने बावत् किसी न्यायालय में चुनौती नही दी है, इसलिए वयनामा दिनांक 16.06.1983 आज भी यथावत् है । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 इस तनकी को साबित करने में असफल रहे हैं । अतः इस तनकी को प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है ।

उक्त विवेचनानुसार तनकी नं0 1, 2 व 3 वादी के पक्ष में निर्णित की गई है जिससे दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है । अतः आदेश है कि –

दावा वादी डिक्री किया जाता है । आ0ख0नं0 76/0.72 बाके ग्राम जालूकी तहसील नगर पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप न करें । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
(सहायक कलक्टर) नगर

निर्णय आज दिनांक 19.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीरसिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
(सहायक कलक्टर) नगर